

प्रैक्ट

निदेशक
प्रतिष्ठान एवं संस्थान
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेक्यूरिटी
प्रधानमंत्री / प्रबन्धक
स्वामी विवेकानन्द औद्योगिक विश्वविद्यालय कॉम्प्लेक्स,
गोप पोल गाँववार्ड, जिला लखनऊ

पत्रांक : / ई - ३ / सांख्य ५०८०५० / ग्राहकसंगति

विषय :- स्थानीय भागी नी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निची ओंग कंपनी के व्यवसाय/कुटुंबों का स्थानीय सम्बन्धन प्रदान किये जाने के मारे गे नामांकित संस्थान लेजार्ड एवं प्रतिष्ठान, लौटीन्फॉल्टिंग नई दिल्ली में वाहिनी द्वारा सिवे भवे निर्णय की घूसना के सामना है।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लाखनऊ के लाखनऊ रिपोर्ट नियम जाने के द्वारा संस्थान से सम्बन्धित स्थानीय समिति नी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक ३०-६-२००९ पर १२-०४-२००९ ते २८-०८-२००९ के नामांकित संस्थान एवं प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में लाखीय व्यवसायिक प्रतिष्ठान परिषद की उप समिति की बैठक लाखनऊ रुग्नी : उग समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थानीय समिति नी उत्तर निरीक्षण रिपोर्ट के मारे गे जो नियम लिया गया है, उत्तर कहुरुण व्यवसायावार नीये अधिक किया जा रहा है।

क्रम संख्या	व्यवसाय/एकक लिए संस्थान/कंपनी द्वारा स्थानीय समिति का अनुरोध किया गया।			अनुमति
	स्थानीय लिए द्वारा	लौटीन्फॉल्टिंग द्वारा	4	5
1.	Fitter Addl. One Unit III Shift	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	
2.	Electrician Addl. One Unit III Shift	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	

DGET-6/24/5/2007 -TC DATED 28/08/2009

प्रयोग किये गये संकेतः—

- (1) एनोडिन्फॉल्टिंग स्थानीय लिए द्वारा नियमानुसार एक लाख रुपये नियमित रूप से देता है।
- (2) शीजाइन्फॉल्टिंग -प्रेमांगी नियमित रिपोर्ट
- (3) यूरोपी-विवारातीन
- (4) एनोडिन्फॉल्टिंग-संस्थानी नहीं किया गया।
- (5) एनोडिन्फॉल्टिंग-संस्थानी नहीं किया गया।
- (6) एनोडिन्फॉल्टिंग-विवारातीन

आपके अपेक्षा की जाती है कि आप संस्थान द्वारा बढ़ाई गई कमियों/कुटुंबों का नियन्त्रण सम्मान्यत करके आपकी आकृति नियमित संस्थान की ओर से आपको में कुस नियमांकन के अनियन्त्रित कुछ ताकि अप्रिय कार्यवाही की जा सके।

विषेष :- यह ये रूपरूप दिया जाता है कि संस्थान संकार द्वारा यह आपके संस्थान के वाहिनी व्यवसायों के आवश्यक प्रवाना नहीं कि यह है कि आप इन व्यवसायों में भोजन न करें। इन आवश्यक व्यवसायों को आपकी अधिकत गार्हीय व्यवसायिक परिषद में समिक्षित नहीं करता जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तमानुभव आपका होगा।

भवदीय,

(संहृत देव)
अपर निदेशक (प्रसि/सिल्व)

पत्रांक २१२३ / ई - ३ सांख्य ५०८०५० / ग्राहकसंगति /

- प्रतिलिपि नियमितिका घुसाना, एवं आवश्यक कार्यवाही के द्वारा देता है।
1. संकुल निदेशक (प्रसि/सिल्व) नेतृत्व के द्वारा आवश्यक द्वारा देता है।
 2. संवित संस्थान/कंपनी की व्यवसायिक प्रवाना है।
 3. गार्ही फॉल्ट देता है।
 4. एप निदेशक व्यवसायिक परिषद परिषद अवौधारित, लखनऊ।

(संहृत देव)
अपर निदेशक (प्रसि/सिल्व)

Director
Swami Vivekanand Industrial Training Institute
Vill. S. Post Satyawal, Meerut